

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

1. कर निधारण की पूरी GUMLA NAGAR PARISHAD Website. www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. निष्पावती कटिका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो अप्रति कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रति कर का प्रमाण नैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए संपूर्ण प्रति कर का प्रमाण नही प्राप्त किया जाये तो करदाता को 5% की दरवाजा की जाएगी।
5. किसी देय प्रति को निर्दिष्ट संपादादि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, जो 1% प्रतिमाह की दर से संचालन खर्च देय होगा।
6. यह कर निधारण आयु के रजिस्ट्रार एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस रज-निधारण-सह-घोषणा पर की स्थानीय जल तथा सार्वजनिक सेवाओं के देय एवं प्राप्त पर एवं निष्पावती कटिका 13.2 के अनुसार निधारण खाते (Fino) एवं अंतर राशि देय होगी।
7. GUMLA NAGAR PARISHAD द्वारा संचालित इस संपत्ति कर इन सुधारवादी/दोषों को कोड़े का-पैनी से निवारण प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपनी मालिकों / रखतकार को कोड़े का-पैनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये वॉलेजिंग नं.आ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह निधारण संस्थाओं की श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।

नोट:-



To be signed by the Applicant

क्र.सं.	Particulars	Amount (in Rs.)
1.	गृह कर	51.00
2.	जल कर	0.00
3.	शुल्कात्मक कर	0.00
4.	निजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		51.00

रज-निधारण कर की सूचना

श्री/श्रीमती/श्री Aditya kumar gupta S/O SRI JAGDISH PRASAD, गोकुल नगर GUMLA, 9798746209 GUMLA, 835207
 एनर्ज द्वारा आपको संचालित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0170000039800M0 बार्ड सं. 17 हुआ है, आपके रज-निधारण घोषणा पर के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू. निधारण किया गया है।
 इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

Memo No : 278085110118042703
 Date : 11-01-2018
 प्रणीत : 1 2016-2017

गोकुल नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत रज-निधारण किसे गये सम्पत्ति कर की सूचना।